



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1943 (श०)
(सं० पटना 763) पटना, वृहस्पतिवार, 2 सितम्बर 2021

सं० 27@vkjki&01&57@2020&7713@lk0i.0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
28 जुलाई 2021

श्री रियाज अहमद खॉ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1038/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी, सहरसा के विरुद्ध दिनांक-07.09.2002 से 07.05.2004 के पदस्थापन काल से संबंधित जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-76-1 दिनांक-08.06.2011 द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ प्राप्त हुआ। श्री रियाज अहमद खॉ के विरुद्ध सी०ए०जी० की कंडिका-4.1.3 के अनुपालन के क्रम में महिषी प्रखंड अन्तर्गत राशि के गबन एवं दुर्विनियोग के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सहरसा का मंतव्य पत्रांक-103-1 दिनांक-27.12.2013 से प्राप्त हुआ। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-17374 दिनांक-17.12.2014 द्वारा श्री खॉ पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक-370 दिनांक-13.03.2021 द्वारा श्री खॉ के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री खॉ के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री रियाज अहमद खॉ, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी, सहरसा द्वारा उक्त पद पर लगभग 21 माह की कार्य अवधि में लगभग 3,21,51,000 (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकावन हजार) रुपये अग्रिम के रूप में दिये गये हैं जबकि समायोजन मात्र 82,70,000 (बेरासी लाख सत्तर हजार) रुपये के लगभग हो पाया है। इस प्रकार श्री खॉ द्वारा दिये गये अग्रिम का लगभग 75 प्रतिशत असमायोजित रहा है और मात्र लगभग 25 प्रतिशत अग्रिम का ही समायोजन किया जा सका है। श्री खॉ द्वारा अग्रिम देने के समय भी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए थी तथा दिये गये अग्रिम का ससमय समायोजन हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि अग्रिम देने के बाद योजनाओं को ससमय पूरा करना और दी गयी राशि का समायोजित कराना भी श्री खॉ का दायित्व था। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री खॉ से विभागीय पत्रांक-5787 दिनांक-15.06.2021 द्वारा बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री रियाज अहमद खॉ का बचाव बयान प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि अग्रिम पंजी का भौतिक सत्यापन उनके द्वारा नहीं किया गया, जो सही नहीं है। उनके द्वारा प्रखंड नजारत में अग्रिम पंजी का भौतिक

सत्यापन के पश्चात् ही योजना अभिकर्ताओं/सरकारी कर्मियों को समायोजन के लिए नोटिस निर्गत किया गया। प्रखंड में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी कर्मियों को अग्रिम भुगतान करने की परंपरा पूर्व से थी। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जिन कर्मियों/योजना अभिकर्ताओं के द्वारा अग्रिम राशि के अनुसार योजना का कार्य नहीं कराया गया था या उक्त समय तक समायोजन नहीं कर सके थे, उन्हें उनके द्वारा नोटिस किया गया था। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त के संबंध में कर्मियों/योजना अभिकर्ताओं पर प्राथमिकी/नीलाम-पत्र वाद भी दायर किया गया। प्रखंड में समायोजन की प्रक्रिया यह थी कि कार्य पूर्ण होने पर एक बार ही कुल अग्रिम का समायोजन मापीपुस्त के आधार पर किया जाता था। इसी कारण अधिक अग्रिम रह गया। श्री खॉ द्वारा यह भी बताया गया है कि उनका स्थानान्तरण वहां से हो गया। यदि कुछ महीने और रहते, तो समायोजन की कार्यवाई कर अग्रिम समाप्त कर दिया जाता।

श्री रियाज अहमद खॉ, के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री रियाज अहमद खॉ, अपने कार्यकाल में योजनाओं को पूर्ण कराने में असफल रहें। श्री खॉ के बचाव बयान स्वीकृति योग्य नहीं पाते हुए इन्हें 1. निंदन (आरोप वर्ष-2002-04) 2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि अवरुध करने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्णित स्थिति में श्री रियाज अहमद खॉ, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1038/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी, सहरसा सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सिटी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथासंशोधित के नियम-14 के अन्तर्गत 1. निंदन (आरोप वर्ष-2002-04) 2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि अवरुध करने की शास्ति अधिरोपित/संसूचित की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 763-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>